

राजरथान सरकार

जल संसाधन, राज्य जल संसाधन आयोजना, इन्दिरा गांधी नहर
एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग


क्रमांक: / ८० / वि. वि. वि. / २५० / २५ / वि. जा. / २०१५ / २५५०

दिनांक: 12/07/2019

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि जन लेखा समिति की सिफारिश में किसी उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा सिफारिश प्राप्त होने के उपरान्त भी लम्बे समय तक अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जाते हैं और आरोप पत्र जारी नहीं हो पाते हैं, एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जिससे जन लेखा समिति के समक्ष दोस/यथायोग्य कार्यवाही के साक्ष्य प्रस्तुत करने में असुविधा की स्थिति रहती है। साथ ही अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध राजरथान सेवा नियम (पेंशन)-1996 के नियम-7 (2) (ख) (ii) अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है।

अतः आदेशित किया जाता है कि जन लेखा समिति की सिफारिशें प्राप्त होते ही संभावित आरोपित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अलम्ब तैयार कर त्वरित रूप से आरोप पत्र जारी कराये जावे ताकि जन लेखा समिति की सिफारिश की पालना हो सके। यथा समय कार्यवाही नहीं किये जाने पर विलम्ब से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(नवीन महाजन)


शासन सचिव

दिनांक : 12/07/2019

क्रमांक: / ८० / वि. वि. वि. / २५० / २५ / वि. जा. / २०१५ / २५५१ - ५७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, राज्य जल संसाधन आयोजना, इन्दिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, क्षेत्रिय विकास आयुक्त, बीकानेर/कोटा।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज.जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राज. जयपुर/कोटा/(उत्तर) हनुमानगढ/राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग राज.जयपुर/ गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता, जयपुर/आर.आर. बी.ए.जयपुर/सी.ए.डी (पूर्व), जयपुर/ सी.ए.डी (पश्चिम), बीकानेर/इ.गा.न.प. बीकानेर/ नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर।
5. महानिदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, आई.एम.टी.आई, कोटा।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
7. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, जयपुर /इन्दिरा गांधी नहर विभाग, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव